भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 571
(दिनांक 06.02.2024 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी खबरों का प्रसार

571. श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि फर्जी खबरे एक बड़ी समस्या बन गई है जिसके परिणास्वरूप कई नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) क्या सरकार ने फर्जी खबरों के प्रसार में डिजिटल जानकारी प्रसारित करने वाले प्रमुख ऐप/समाचार-पत्रों के योगदान का आकलन करने हेतु किसी भी प्रकार के अध्ययन का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का जर्मनी की तरह झूठे संदेशों के प्रसार को नहीं रोकने वाले संगठनों पर जुर्माना लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) फर्जी खबरों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने हेतु नागरिकों के मध्य मीडिया साक्षरता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए, समाचार-पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए "पत्रकारिता आचरण के मानक" का पालन करना अनिवार्य है जो अन्य बातों के साथ-साथ

फर्जी/अपमानजनक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाता है। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, मानकों के कथित उल्लंघनों की जांच करती है, और जैसा भी मामला हो, समाचार-पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है।

टीवी चैनलों पर सामग्री को केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं की जाए जिसमें कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक संकेत और अर्ध सत्य शामिल है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 यथासंशोधित 2021 टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करते हैं। जहां कहीं कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

इसी प्रकार, डिजिटल समाचार प्रकाशकों की सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत प्रदान की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। ये नियम उनके द्वारा आचार संहिता से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए तीन स्तरीय तंत्र का भी प्रावधान करते हैं।

नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का स्वत: और इसके पोर्टल या ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेती है। यह यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित सही और अद्यतन सूचना के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है।

****